भारत सरकार इस्पात मंत्रालय लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1335 09 फरवरी. 2022 को उत्तर के लिए

सहयोगी कार्य नीति

1335. श्री टी.आर.बालू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने भविष्य में मजबूत और सतत इस्पात उद्योग के विकास के लिए एक सहयोगी कार्य-नीति का प्रस्ताव किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार चीन से स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों के आयात पर प्रति तुल्य शुल्क (सीवीडी) के निलंबन और इंडोनेशिया से स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों के आयात पर सीवीडी के निरसन से अवगत है, जिसके कारण इस्पात क्षेत्र में भारत की विकास संभावनाएं पटरी से उतर गई हैं; और
- (घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

- (क) और (ख): राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 का ध्येय इस्पात उत्पादकों को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर इस्पात उत्पादन में "आत्मिनिर्भरता" प्राप्त करने के लिए वातावरण उपलब्ध कराना है। सतत इस्पात उद्योग को विकसित करने और बढ़ावा देने हेतु, सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- (i) लौह अयस्क के उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि हेत् खनन एवं खनिज नीति में स्धार।
- (ii) मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

- (iii) घरेलू रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।
- (iv) गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को जारी करना।
- (v) इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण हेत् इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)।
- (vi) 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।
- (vii) कार्यकुशलता, संधारणीयता और आधुनिकीकरण के लिए सभी संबंधित हितधारकों की सहभागिता के साथ इस्पात क्षेत्र में अन्संधान एवं विकास का एक इको-सिस्टम सृजित किया गया है।

(ग) और (घ): चीन और इंडोनेशिया से स्टेनलेस स्टील के फ्लैट उत्पादों के आयातों में वृद्धि हुई है। तथापि, स्टेनलेस स्टील के उत्पादों के प्रचलित उच्च मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय बजट 2022-23 में स्टेनलेस स्टील के उत्पादों पर प्रतिकारी शुल्कों (सीवीडी) को हटाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, एमएसएमई के द्वितीयक इस्पात उत्पादकों को राहत प्रदान करने हेतु स्टेनलेस स्टील के स्क्रैप पर सीमा शुल्क की छूट को एक और वर्ष अर्थात् 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने केवल गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादों के आयात को सुनिश्चित करने के लिए इस्पात एवं इस्पात उत्पादों से संबंधित 145 भारतीय मानकों को अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अंतर्गत लाया है।
